E-MAIL

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-रा0का0-02/2009 4073 /खाद्य, पटना/दिनांक- 17-5-2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

विषयः- **राशन कार्ड प्रत्यर्पण प्रमाण-पत्र के आधार पर नया राशन कार्ड निर्गत करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बाहर से आये कतिपय उपभोक्ताओं द्वारा राशन कार्ड प्रत्यर्पण प्रमाण-पत्र के आधार पर नया राशन कार्ड की मांग करने संबंधी सूचनाएं कतिपय जिलों से प्राप्त हुई है ।

इस संदर्भ में कहना है कि राज्य के अन्दर निवास करने वाले उपभोक्ता परिवारों द्वारा निवास स्थान परिवर्तन किये जाने पर राशन कार्ड प्रत्यर्पण के फलस्वरूप उन्हें राशन कार्ड प्रत्यर्पण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा । उक्त प्रत्यर्पण प्रमाण-पत्र में राशन कार्ड की श्रेणी यथा ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय एवं राशन कार्ड क्रम संख्या के अतिरिक्त पारिवारिक सूची क्रमांक भी दर्ज किया जाएगा । इस प्रकार से निर्गत प्रत्यर्पण प्रमाण-पत्र के आधार पर उपभोक्ता के आवेदन के आलोक में अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों से आने वाले परिवारों को भी राशन कार्ड प्रत्यर्पण प्रमाण-पत्र के आधार पर नया राशन कार्ड निर्गत किया जा सकता है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस श्रेणी का राशन कार्ड उपभोक्ता परिवार द्वारा प्रत्यर्पित किया गया हो उसी श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा । इस प्रकार से प्रत्यर्पण प्रमाण-पत्र के आधार पर राशन कार्ड निर्गत करने के साथ हीं परिवार प्रमुख एवं सदस्यों के नाम की सूचना संबंधित नगर निकाय/प्रखंड को भी भेज दी जाय ताकि सर्वेक्षित पारिवारिक सूची में उनका नाम भी शामिल किया जा सके ।

अनुरोध है कि उक्त निदेश से सभी संबंधित पदाधिकारियों को भी अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन,
(signature) 16/05/2011
(त्रिपुरारि शरण)
प्रधान सचिव ।

D:\Drive_F\Year.-2011\Years 2009\Ration_Card.doc